रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2015/चैत्र 20, 1937
No. 222]	NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2015/CHAITRA 20, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 277(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र समूह 'क' भर्ती नियम, 2014 को अधिक्रांत करते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, महानिदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतनबैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभों (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि: भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभों (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	उच्च प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान 67000-79000 रु. (तीन प्रतिशत की दर पर वार्षिक वेतन वृद्धि)	लागू नहीं होता	50 वर्ष की आयु तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा
7	8	9	10	11
आवश्यक: i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में डिग्री अथवा एमएससी (इलेक्ट्रॉनिकी) अथवा एमएससी (अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी) अथवा कम्प्यूटर उपयोजन में मास्टर डिग्री अथवा एमएससी (कंप्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी) वांछनीय: इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री अथवा कम्प्यूटर विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिकी में डॉक्टरेट डिग्री अनुभव i सरकारी सेवकों की दशा में सूचना प्रौद्योगिकी या प्रणाली कार्यान्वयन या ई-शासन में पच्चीस वर्षों का अनुभव ii सूचना प्रौद्योगिकी अथवा प्रणाली कार्यान्वयन या ई-शासन के क्षेत्र में पच्चीस वर्ष का अनुभव (गैर-सरकारी सेवकों की दशा में), जिसमें से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव निम्नलिखित के रूप में होना चाहिए :	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) / सीधी भर्ती	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) : (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी,- (अ) (i) जो नियमित आधार पर सहस पद धारण किए हों, अथवा (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-4, वेतनमान 37,400-67,000/-रु. + ग्रेड वेतन- 10,000/-रु. में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ब) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता और अनुभव हो। (ख) अखिल भारतीय सेवा के ऐसे अधिकारी जिन्होंने केंद्र में उनके बैच के इम्पैनलमेंट के पश्चात वेतन बैंड-4, 37400-67000/-रु. + ग्रेड वेतन-10,000/-रुपए में तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो और जिनको ई-शासन के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव हो। (वेतन बैंड-4, 37400-67000/-रु. + ग्रेड वेतन-10,000/-रुपए के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, वैज्ञानिक 'जी' जिन्होंने उस

(क) कम से कम पिछले 10 वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संगठन के मुख्य कार्यपालक के रूप में टिप्पण: सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संगठन से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतंर्गत रजिस्ट्रीकृत ऐसी निजी सत्ता अभिप्रेत है जिसका इसके मुख्य कार्यपालक के रूप में उक्त संगठन के साथ अभ्यर्थी के सहयोजन के दौरान कम से कम पच्चीस करोड़ रुपए का वार्षिक विक्रय व्यापारावर्त हो) ; या (ख) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा अथवा अनुसंधान में लगे मान्यता प्राप्त अकादमिक संस्थान का निदेशक या विभागाध्यक्ष।				श्रेणी में तीन वर्षों की नियमित सेवा की है पर बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा। और उनकी नियुक्ति के लिए चयन हो जाने की दशा में, पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा)। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिनमे भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए
12	13
समूह 'क' विभागीय चयन समिति (चयन और पुष्टि के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग — अध्यक्ष 2. सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग — सदस्य 3. सचिव,कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग- —सदस्य 4. सचिव, दूर संचार विभाग —सदस्य 5. एक विख्यात वैज्ञानिक या सुसंगत क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त शिक्षाविद —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 1(9)/2013-पी. III]

राजकुमार गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2015

G.S.R. 277(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology, Director General, National Informatics Centre Group 'A' Post Recruitment Rules, 2014, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director General, National Informatics Centre in the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology, namely :—

1. **Short title and commencement.**–(1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology, Director General, National Informatics Centre, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**–The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**–The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**–No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**–Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**–Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Pay band and grade pay or pay scale**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age limit for direct recruits**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director General, National Informatics Centre.	1*(2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Higher Administrative Grade scale Rs. 67000 -79000/- (annual increment at the rate of three percent.)	Not applicable.	Upto 50 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Anadman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods**	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential: Degree in Engineering or Technology from a recognized University or Institute or M.Sc. (Electronics) or M.Sc. (Applied Electronics) or Masters' Degree in Computer Applications or M.Sc. (Computer Science/Information Technology). **Desirable :** Masters' Degree in Engineering or Techno-logy or Doctorate Degree in computer Science or Information Technology or	Not applicable.	One year for direct recruits	By promotion/deputation (including short-term contract)/ direct recruitment	**Deputation (including short-term contract):** (A) Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies, (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with three years regular service in pay band - 4 Rs.37,400 - 67,000/- with grade pay - Rs. 10,000 ; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Electronics. **Experience** (i) Twenty-five years experience in the area of Information Technology or System Implementation or e-Governance, in the case of Government servants. (ii) Twenty-five years of experience (in case of non-Government servants) in the area of Information Technology or System Implementation or e-Governance, of which at least five years as- (a) the Chief Executive of an Information Technology related organisation during the preceding ten years. Note: The Information Technology related organisation shall mean a private entity registered under any law for the time being in-force, with annual sales turn over of at least twenty-five crore rupees during the association of the candidate with the said organisation as its Chief Executive); or (b) the Director or Head of the Department of a recognised academic institution, engaged in education or research in the field of Information Technology.				(B) All India Service Officers with three years regular service in pay band – 4 Rs. 37400-67000/- plus Grade pay of Rs. 10000/-after empanelment of their Batch at the centre and with five years experience in the area of e-Governance. (The National Informatics Centre Scientist 'G' in the pay band-4, Rs. 37400-67000 plus grade pay - Rs. 10,000 with three years regular service in the grade shall be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment, the post shall be deemed to have filled by promotion.) Note 1: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date for receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Selection Committee (for selection and confirmation) consisting of: - 1. Secretary, Department of Electronics and Information Technology – Chairman; 2. Secretary, Department of Science and Technology –Member; 3. Secretary, Department of Personnel and Training –Member; 4. Secretary, Department of Tele – Communication – Member; 5. An eminent Scientist or Academician specialised in the relevant field – Member.	Not applicable.

[F. No. 1(9)/2013 P-III]

RAJ KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.